

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
109 / 2022

दायर दिनांक
15.06.2022

निर्णय दिनांक
16.01.2024

अनवान

1. कैलाश भारती पुत्र रतन जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रूपी पत्नी रतन जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर भारती पिता सोमा जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायण पिता गोपु भारती जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कंचनदेवी पत्नी छगन जाति जैन (ओसवाल) आयु वयस्क निवासी ताणा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
4. राजेश पिता बंशीलाल जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट
एक तरफा

प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 118 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2075, 2076, 2078, 3722/2081, 3723/2078 कुल किता 05 कुल रकबा 2.09 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 221 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2079, 2080 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती के जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 31.03.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 118 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2075, 2076, 2078, 3722/2081, 3723/2078 कुल किता 05 कुल रकबा 2.09 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 221 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2079, 2080 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन